

सरकूलर नं0: अपमा / 2018-2020 / 21 दिनांक : 28-12-2018

M/S. WELCOME AUTO CENTRE.

1/514, Bazar Ganda Nala, Kashmere Gate, Delhi-110006,

(Phone: Office: 23918164, 23948002, 23948001, Mobile No. 7703894908), desire to circulate as under:-

Wanted/Required Salesmen for Delhi & out Station for their Products.

Experienced and Interested persons can contact our office on any working day between 4.00 P.M. to 6.00 P.M. along with their bio-data.

''अपमा निःशुल्क चिकित्सालय''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि अपमा पिछले 25 वर्षों से निःशुल्क चिकित्सालय का सुचारू रूप से संचालन कर रही है। जिसमें एक योग्य एवं अनुभवी एम.बी.बो.एस. डॉक्टर शालिनी जी की सेवाएं सुबह 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे जरूरतमंद मरीजों का प्रतिदिन इलाज किया जा रहा है।

सभी व्यापारी भाईयों से अपमा की समस्त कार्यकारिणी की ओर से अनुरोध है कि आप अपने कर्मचारियों, झल्ली वालों, ठेलेवालों से डिस्पेन्सरी की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें एवं स्वयं भी आये।

नया कार्ड का चार्ज केवल 10/- रूपये दवा का चार्ज केवल 5/- रूपये प्रति दिन

अपमा डिस्पेन्सरी 80^{जी} के अन्तर्गत पंजीकृत है। डिस्पेन्सरी हेतु आप द्वारा दी हुई दान राशि पर आपको इनकम टैक्स 80^{जी} के अन्तर्गत 50% की छूट मिलेगी।

(अपमा डिस्पेन्सरी में मशीन द्वारा शुगर टेस्ट एवं बल्ड प्रेशर चैक करने की सुविधा उपलब्ध है।)

कृ0प0उ0.....2

सरकूलर नं0: अपमा/2018-2020/23

"ट्रेड लाईसेंस बनवाने हेतु कैम्प का आयोजन"

आप सभी को सूचित किया जाता है कि ट्रेड लाईसेंस बनवाने हेतु अपमा के अथक प्रयास से पुनः व्यापारी माईयों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 31 दिसम्बर 2018 से लेकर 2 जनवरी 2019 (सोमवार, मंगलवार एवं बुद्धवार) को अपमा कार्यालय में तीन दिन के लिए कैम्प का आयोजन किया जाऐगा। अतः जिन व्यापारी माईयों ने अभी तक अपना ट्रेड लाईसेंस नहीं बनवा है उनसे अनुरोध है कि कैम्प में आकर अपना ट्रेड लाईसेंस अवश्य बनवा लें।

दिल्ली नगर निगम द्वारा ट्रेड लाईसेंस बनवाने हतु अधिकृत M/s. M.R. Associates के कर्मचारी श्री अनिल कुमार (मोबाइल नं0 9911932174) कैम्प में मौजूद रहेंगें। अतः आपसे अनुरोध है कि टड लाईसेंस बनवाने हेतु अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ लेकर अवश्य आयें:—

- 01. आवेदन पत्र
- 02. आवदक की फोटो
- 03. दुकान/आफिस की फोटो (पोस्ट कार्ड साईज)
- 04. साईट प्लान
- 05. की प्लान
- 06. स्ट्रक्चर सेफटी सर्टिफिकेट
- 07. कानूनी अधिभोग का प्रमाण पत्र(एम.टी.एन.एल. बिल/पानी का बिल/बिजली का बिल कराये का प्रमाण/स्वामित्व दस्तावेज/कोई भी आबंटन पत्र
- 08. एफिडेविट 100/- व 10/-
- 09. पहचान पत्र और निवास प्रमाण आधार कार्ड
- 10. ड्रिमांड ड्राफ्ट (2)
 - 1. Commissioner North DMC License Fees A/c (Rs. 2500)
 - 2. Commissioner North DMC License Processing Fee A/c (Rs. 914)

साथियों, 2 जनवरी 2019 के बाद कश्मीरी गेट में ट्रेड लाइसेंस बनवाने हेतु कैम्प का आयोजन नहीं किया जाऐगा। कृपया ध्यान दें।

(विनय नारंग) महासचिव

